दिनांक 2.02.2014 दिन रविवार को पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर चयन के लिये वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण निर्देश।

1. दिनांक 2.02.2014 को आयोजित होने वाली पशुधन प्रसार अधिकारी की लिखित परीक्षा के संबंध में सम्बन्धित अपर निदेशक द्वारा मण्डल मुख्यालय स्थित विद्यालयों की संख्या एवं उनमें अभ्यर्थियों की बैठने की क्षमता की जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है उसके अनुसार अभ्यर्थी का विद्यालयवार आवंटन कर प्रवेश पत्र वेब साईट पर अपलोड कर दिये गये हैं। जिससे अभ्यर्थी सीधे वेब साईट www.dahup.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगें। इस संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड न होने का कथन करते हुये प्रवेश पत्र की मांग की जाती है तो सम्बन्धित अपर निदेशक उसका प्रवेश पत्र वेब साईट से डाउनलोड कर उसको उपलब्ध करायेगें।

2. लिखित परीक्षा के लिये प्रश्न पुस्तिकाओं व उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने के संबंध में सम्बन्धित अपर निदेशक को निर्देशित किया जा चुका है कि प्रश्न पुस्तिकाओं एवं उत्तर पुस्तिकाओं को लेने के लिये वह स्वयं वाहन एवं सशस्त्र पुलिसबल के साथ निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर सील बन्द प्रश्न पुस्तिकाओं एवं उत्तर पुस्तिकाओं को रिसीव करकें ट्रेजरी के डबललॉक में रखवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. समस्त अपर निदेशक प्रश्न पुस्तिकाओं एवं उत्तर पुस्तिकाओं को इस क्रम में रखवायेगें कि परीक्षा की तिथि 2.02.2014 को सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके लिये आवंटित विद्यालय का बन्डल तत्काल उन्हें हस्तगत कराया जा सकें। इसके लिये जिला विद्यालय निरीक्षक से सम्पर्क स्थापित कर विद्यालयों का रूट चार्ट तैयार कर लिया जाय तथा जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध करके सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं प्रत्येक विद्यालय के लिये एक पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित करा लिया जाय।

4. समस्त अपर निदेशक द्वारा मण्डल मुख्यालय पर जिलाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक से समन्वय स्थापित कर लिखित परीक्षा की तैयारी के लिये समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं केन्द्र व्यवस्थापक (प्रधानाचार्य) की एक बैठक तत्काल आयोजित कर लिखित परीक्षा के संबंध में समस्त आवश्यक जानकारी उनको प्रदान कर दी जायें, जिससे कि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो सकें।

5. परीक्षा उपरान्त अभ्यर्थी अपनी प्रश्न पुस्तिकाओं (प्रश्नपत्र) को अपने साथ वापस ले जा सकेंगें, किन्तु अप्रयुक्त एवं प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं (ओ0एम0आर0 सीट) को

परीक्षा केन्द्र पर ही सील बन्द कराकर सम्बन्धित सेक्टर मजिस्ट्रेट वापस ले जाकर ट्रेजरी के डबल लॉक में रखवाना सुनिश्चित करेगें।

6. समस्त अपर निदेशक द्वारा लिखित परीक्षा के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं समस्त केन्द्र व्यवस्थापक से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर परीक्षा ड्यूटी में लगने वाले कक्ष निरीक्षकों की निश्चित संख्या तत्काल निदेशालय को प्रेषित की जाय, जिससे उनका मानदेय समय से प्रेषित किया जा सकें।

7. परीक्षा की समयावधि दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे अर्थात् 90 मिनट निर्धारित की गयी है। किसी भी दशा में 12:30 के पश्चात् आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने की अनुमति न दी जाय।

8. प्रश्न पुस्तिकाएं ए, बी, सी, डी क्रम में व्यवस्थित की गयी है। केन्द्र व्यवस्थापक एवं पर्यवेक्षक परीक्षा शुरू होने के 1 घण्टा पूर्व अर्थात् 11:00 बजे विद्यालय के लिये निर्धारित सील बन्द पैकेट को खोलकर प्रश्न पुस्तिकाओं को कक्षवार लगाते हुये उसी व्यवस्थित रूप से कक्ष में बैठे परीक्षार्थियों के मध्य वितरित कराना सुनिश्चित करेगें। वितरण के दौरान सीरीज के क्रम में प्रश्नपुस्तिकाओं को रखते जायेगे। यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित नही है, तो भी उस क्रम पर आवंटित प्रश्न पुस्तिका को टेबल पर रख देंगें। किसी भी स्थिति में सीरीज के क्रम को नही तोड़ेगें।

9. केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा शुरू होने के आधे घण्टे पश्चात् अर्थात् 12:30 बजे समस्त अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं (ओ0एम0आर0 सीट) को एकत्रित करते हुये तत्काल उनको सील बन्द कराना सुनिश्चित करेगें। इस प्रकार परीक्षा समाप्ति के उपरान्त प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 2 बन्डल (अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं का एक पैकेट एवं प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं का एक पैकेट) सील कराते हुये उनको डबल लॉक में रखवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

10. अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के समय अपने साथ पासपोर्ट साईज का फोटो एवं अनुमन्य पहचान पत्र लायेंगे। सम्बन्धित कक्ष निरीक्षक उक्त फोटो को प्राप्त करते हुये सम्बन्धित अभ्यर्थी एवं उसकी फोटो का मिलान करते हुये प्रवेश पत्र में अंकित फोटो से भी उसका मिलान करना सुनिश्चित करेगें।

11. परीक्षा के दौरान किसी भी स्थिति में मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है। अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन या किसी प्रकार के अन्य संचार उपकरण के साथ प्रवेश नही करेंगे। केन्द्र व्यवस्थापक अभ्यर्थी के पास उपलब्ध मोबाइल फोन को सुरक्षित जमा कराने के लिये आवश्यक बन्दोबस्त करेंगे।

12. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तीन खण्डों में विभाजित होगा। प्रश्नों की कुल संख्या–100 है।

प्रथम खण्ड में जीव विज्ञान एवं द्वितीय खण्ड में कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, जबकि तृतीय खण्ड में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को प्रथम खण्ड अथवा द्वितीय खण्ड में से किसी भी एक खण्ड के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जबकि तृतीय खण्ड के प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होंगे।

13. परीक्षा प्रारम्भ होने के उपरान्त अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकते हैं।

14. परीक्षार्थी गोले भरने के लिए केवल काले बॉलपेन का उपयोग करें।

कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्र संख्या– 289 /स्था0–2/1–ख13(2101)/2013 दिनांक 20-1-2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2 (सहारनपुर मण्डल को छोड़कर) पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय जिलाधिकारी (सहारनपुर मण्डल को छोड़कर)।
3. प्रमुख सचिव, पशुधन महोदय उ0प्र0 शासन सचिवालय लखनऊ।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।